भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1816
दिनांक 05 दिसंबर, 2024

कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचत

†1816. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत दशकों के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में आई अत्यधिक गिरावट के बावजूद तेल कंपनियों को हुए लाभ को सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया है, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) कच्चे तेल की घटती कीमतों से होने वाली बचत को किन योजनाओं में लगाया जा रहा है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को उचित वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पेट्रोल और डीजल की कीमत की गणना के लिए सटीक गणितीय सूत्र क्या हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार निर्धारित है और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं।

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों के 85% से अधिक का आयात करता है। कच्चे तेल के मूल्य (भारतीय बास्केट) 55 डॉलर/बीबीएल (मार्च 2015) से बढ़कर 113 डॉलर/बीबीएल (मार्च 2022) तथा आगे और अधिक बढ़ कर 116 डॉलर/बीबीएल (जून 2022) हो गए तथा अत्यधिक अस्थिर बने हुए हैं।

सरकार और पीएसयूज ओएमसीज द्वारा बहुत से कदम उठाए गए हैं जिनमें केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में दो बार नवंबर, 2021 और मई, 2022 में क्रमश: कुल 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी की है, जो उपभोक्ताओं को पूर्णतः प्रदान की गई थी जिसके परिणामस्वरुप, घरेलू रूप से, पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य घटकर क्रमशः 94.77 रुपए प्रति लीटर और 87.67 रुपए प्रति लीटर हो गए (दिल्ली में मूल्य)। कतिपय राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत पहुँचाने के निमित्त राज्य वैट दरों को कम कर दिया था। मार्च, 2024 में ओएमसीज ने भी पूरे देश में पेट्रोल और डीजल, प्रत्येक के खुदरा मूल्यों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी।

भारत सरकार ने आम नागरिको को उच्च अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों से सुरक्षित रखने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि शामिल है।

हाल ही में पीएसयू ओएमसीज ने अंतर-राज्य भाड़े का युक्तिकरण किया है। इससे राज्यों के भीतर सुदूर भागों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के रुप में पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेंट (पोओएल) डिपो से दूर,सुदूर स्थानों में रहने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इस पहल ने राज्य में पेट्रोल या डीजल के अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के अंतर को भी कम कर दिया है।

भारत अपनी घरेलू एलपीजी खपत का लगभग 60% आयात करता है। देश में एलपीजी का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनके मूल्यों से जुड़ा हुआ है। सरकार घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य को घटाती-बढ़ाती रहती है। औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) में 64 प्रतिशत (जुलाई 2023 में यूएस अमेरीकी डॉलर 385 प्रति एमटी से नवंबर 2024 में यूएस अमेरीकी डॉलर 632 प्रति एमटी तक) तक वृद्धि हुई है जबकि दूसरी ओर प्रधान मंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) उपभोक्ताओं के लिए भारत में घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य में 44 प्रतिशत (अगस्त 2023 में 903 रूपए से नवम्बर, 2024 में 503 रुपए तक) तक की कमी हुई है।

वर्तमान में 14.2 किलोग्राम वाले एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर का खुदरा बिक्री मूल्य दिल्ली में 803 रुपए है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए 300 रुपए प्रति सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता के बाद, भारत सरकार 503 रुपए प्रति सिलेंडर (दिल्ली में) की प्रभावी लागत पर 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेण्डर उपलब्ध करवा रही है। यह पूरे देश में 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों को उपलब्ध हैं।

उपभोक्ताओं को सीधे राजसहायता के अलावा, ओएमसीज को भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में 22,000 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया गया है, ताकि उच्च अन्तरराष्ट्रीय एलपीजी मूल्यों का बोझ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता पर न डालने के कारण उन्हें हुई अल्प वसूली की भरपाई की जा सके।

कराधान से उत्पन्न राजस्व को सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं यथा- पीएमयूवाई परिवारों को निर्धारित राजसहायता, खाद्य एवं उर्वरक राजसहायता और अवसंरचना निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई), आयुष्मान भारत, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), कोविड-19 के लिए मुफ्त टीकाकरण आदि में प्रयोग किया जाता है। उप कर को अवसंरचनात्मक विकास और रोजगार उत्पन्न करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है।

****